ए.

श्री विश्वनाथ बैंक और ए. एन. आर. बनाम

एसएमटी। सुलंगा बोस और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 1848) 14 मार्च, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:Or.VII r.11 – वाद की अस्वीकृति-घोषणा का वाद और स्थायी निषेधाज्ञा-इस आधार पर वाद की अस्वीकृति की मांग करने वाले प्रतिवादी कि वाद सीमा द्वारा वर्जित है और एस के तहत एक घोषणा के लिए वाद सरल है।53 टी. पी. ए. का ए बनाए रखने योग्य नहीं होगा-निचली न्यायालय ने Or.VII आर. के तहत शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया।11 – हालाँकि, संशोधन पर, उच्च न्यायालय ने Or.VII r की अनुमति दी।11 आवेदन-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःOr.VII r के तहत शिकायत को अस्वीकार करना।11(घ) केवल कुछ पंक्तियों और अंशों को पढ़ने और वाद के अन्य प्रासंगिक भागों को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं है-न्यायालय को समग्र रूप से वाद में दिए गए कथनों पर विचार करना और पढ़ना है-पूरे वाद कथनों को देखने पर, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद को सीमित करने के लिए वर्जित किया गया है-जब वाद स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए है और यह माना जाता है कि वादी समझौते के अनुसार वाद संपत्ति के कब्जे में हैं और उसके बाद, उन्होंने भूमि विकसित कर ली है और वे बारह साल से अधिक समय से निरंतर कब्जे में हैं और वे निगम को कर भी दे रहे हैं, तो कार्रवाई का कारण उस तारीख को उत्पन्न हुआ है जिस पर कब्जा करने की मांग की गई है-यदि -53 मुकदमे के समय टी. पी. ए. के ए. पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि एस. के तहत मांगी गई राहत के लिए मुकदमा।53 ए बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं होगा-Or.VII आर के तहत शक्तियों के प्रयोग में याचिका खारिज होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।11 सी. पी. सी.-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 -s.53A।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

302

303

श्री विश्वनाथ बैंक और ए. एन. आर. बनामएसएमटी। सुलंगा बोस और ओआरएस।

ए.

न्यायालय को अपील की अनुमति देना

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है कि क्या मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित कहा जा सकता है या नहीं**,** इस स्तर पर**,** जिस पर विचार करने की आवश्यकता है**,** वह है वाद में किए गए कथन।केवल उस मामले में जहां यह देखा जाता है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है**,** तब और उसके बाद ही आदेश **VII** नियम **11 (**डी**)** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत सीमा के आधार पर एक वाद को खारिज किया जा सकता है।इस स्तर पर**,** जिस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है**,** वह है वाद में किए गए कथन।उक्त उद्देश्य के लिए**,** न्यायालय को समग्र रूप से वाद के कथनों पर विचार करना और पढ़ना होगा।आदेश **VII** नियम **11** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय**,** न्यायालय को पूरे वाद अभिकथनों को देखना होता है और केवल कुछ पंक्तियों/अंशों को पढ़कर और वाद के अन्य प्रासंगिक हिस्सों की अनदेखी करके वाद को अस्वीकार नहीं कर सकता है।**[**पैरा **7,7.1] [307-**एफ**-**जी**; 308-**ई**]**

बी.

सी.

2. जब मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए होता है और यह माना जाता है कि वादी समझौते के अनुसार वाद संपत्ति के कब्जे में हैं और उसके बाद**,** उन्होंने भूमि का विकास किया है और वे बारह वर्षों से अधिक समय से निरंतर कब्जे में हैं और वे निगम को कर भी दे रहे हैं**,** तो कार्रवाई का कारण उस तारीख को उत्पन्न हुआ है जिस दिन कब्जे को बाधित करने की मांग की जाती है।यदि ऐसा है**,** तो स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है।यह कानून का तय प्रस्ताव है कि शिकायत को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।अन्यथा भी**,** मांगी गई राहतें आपस में जुड़ी हुई हैं।क्या वादी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा **53** ए के तहत किसी भी राहत के हकदार होंगे या नहीं**,** इस पर मुकदमे के समय विचार किया जाना चाहिए**,** लेकिन इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा **53** ए के तहत मांगी गई राहत के लिए मुकदमा बिल्कुल भी बनाए रखने

योग्य नहीं होगा और इसलिए आदेश **VII** नियम **11** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायत को खारिज किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने आदेश **VII** नियम **11** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायत को खारिज करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश कानून के साथ**-**साथ तथ्यों दोनों पर अस्थिर है।**[**पैरा **7.4,8] [309-**ई**-**एच**; 310-**ए**-**सी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता और अन्य।

(2007) 10 एससीसी 59:[2007] 10 एस. सी. आर. 520; दिल्ली मोटर

एच.

304 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 3 एस. सी. आर.

ए.

कंपनी बनाम यू. ए. बसरुकर, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 794:[1968]

2 एस**.** सी**.** आर**. 720-**पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

[2007] 10 एससीआर **520**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **3**

[1968] 2 एससीआर **720**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **4.2**

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील No.1848।

2017 के सी. ओ. No.1417 में कोलकाता में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 28.04.2017 के निर्णय और आदेश से।

सी.

अंकुर सूद, सुश्री रोमिला मंडल, अर्नब चटर्जी, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

सुमन कुमार दत्त, श्रीमती मंजू भूटेरिया, पवनश्री अग्रवाल, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

एम. आर. शाह, जे.

1. 2017 के सी. ओ. संख्या 1417 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया है और निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) के आदेश VII नियम 11 के तहत वाद को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत वाद को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि मुकदमा सीमा से वर्जित है और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत एक सरल घोषणा के लिए मुकदमा वास्तविक मालिक के खिलाफ बनाए नहीं रखा जाएगा, मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

एफ.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः- 2.1 कि यहाँ उत्तरदाताओं-मूल वादियों ने सिविल जज, सीनियर डिवीजन, सियालदह के न्यायालय में उत्तरदाताओं (मूल प्रतिवादियों) के खिलाफ 2010 का शीर्षक मुकदमा संख्या 166 स्थापित किया था।मुकदमे में वादी ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना कीः-

जी.

“क) अधिकार की घोषणा के लिए, वाद संपत्ति में स्वामित्व ब्याज और ए के भाग प्रदर्शन के रूप में वादी के कब्जे की पुष्टि के लिए

एच.

305

श्री विश्वनाथ बैंक और ए. एन. आर. बनामएसएमटी। सुलंगा बोस और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

टी. पी. अधिनियम की धारा 53 ए के तहत प्रदान किए गए अनुबंध दिनांक 28.4.1995।

(क) प्रधान प्रतिवादी को वादी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश देने वाले दिनांकित समझौते को लागू करने के लिए;

बी.

बी) आदेश के स्थायी आदेश के लिए जो उपरोक्त प्रतिवादी और उसके आदमियों और एजेंट को किसी भी हस्तक्षेप और/या वाद संपत्ति के शांतिपूर्ण आनंद और कब्जे में कोई बाधा डालने से रोकता है और प्रतिवादी को वाद संपत्ति से जबरन और अवैध रूप से वादी को बेदखल करने का कोई भी प्रयास करने से रोकता है;

सी.

ग) प्रार्थना (ख) के संदर्भ में समान प्रभाव पर अंतरिम नियम के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए;

XXXXXXX "

2.2 वाद सूचना देने के बाद, प्रतिवादियों ने निचली विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत वाद को मुख्य रूप से इस आधार पर अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया कि वाद सीमा द्वारा वर्जित है और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत एक सरल घोषणा के लिए वाद बनाए रखने योग्य नहीं होगा।कि निचली विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज करने से इनकार कर दिया।

डी.

ई.

2.3 निचली विचारण न्यायालय द्वारा आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत वाद को अस्वीकार करने से इनकार करने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन/आवेदन को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया है और इस आधार पर वाद को खारिज कर दिया है कि मुकदमा सीमितता से वर्जित है और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत एक सरल घोषणा के लिए मुकदमा वास्तविक मालिक के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

एफ.

जी.

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को अनुमति देने वाले विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना और इस आधार पर वाद को खारिज करना कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है और साथ ही संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत एक घोषणा सरलीकरण के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

एच.

मूल मालिक के खिलाफ, मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुर सूद ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को अनुमति देने और इस आधार पर वाद को खारिज करने में गलती की है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया जाएगा, उच्च न्यायालय ने पूरे वाद अभिकथनों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और समग्र रूप से वाद में अभिकथनों पर विचार नहीं किया है।

बी.

3.1 यह तर्क दिया जाता है कि शिकायत में किए गए कथनों के अनुसार, कार्रवाई का कारण 10.08.2010/24.08.2010 पर सामने आया था, जिस तारीख को तीसरे पक्ष द्वारा संपत्ति को हस्तांतरित करने के इरादे से समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह कहा जा सकता है कि सीमा के संबंध में मुद्दा कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और इसलिए, उच्च न्यायालय को इस आधार पर वाद को खारिज नहीं करना चाहिए था कि यह सीमा द्वारा वर्जित है।

सी.

डी.

3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि वादी ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए का आह्वान करते हुए मुकदमे में राहत का दावा किया है और स्थायी निषेधाज्ञा से राहत के लिए भी अनुरोध किया है।यह आग्रह किया जाता है कि क्या वादी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत राहत/राहत प्राप्त करने में सफल होंगे, इस पर मुकदमे के समय विचार करना होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है

कि हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत घोषणा के लिए एक मुकदमा बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

ई.

एफ.

3.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णय पर भरोसा करना

राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता के मामले में यह न्यायालय

और अन्य, (2007) 10 एस. सी. सी. 59, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत वाद को अस्वीकार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

जी.

4. मूल प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन कुमार दत्त ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश का समर्थन किया है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने ए पर वाद को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

एच.

307

श्री विश्वनाथ बैंक और ए. एन. आर. बनामएसएमटी। सुलंगा बोस और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

इस आधार पर कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है।यह तर्क दिया जाता है कि वादी के अनुसार भी कार्रवाई का कारण वर्ष 2004 में सामने आया था जैसा कि शिकायत के पैराग्राफ 4 में कहा गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब कार्रवाई का कारण अप्रैल/मई, 2004 के महीने में सामने आया था और जब मुकदमा वर्ष 2010 में दायर किया गया था, तो यह सीमा कानून द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब एक बार मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित कर दिया जाता है, तो उसे सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत अस्वीकार किया जा सकता है।

बी.

4.2 दिल्ली के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

मोटर कंपनी बनाम। यू. ए. बसरुरकर, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 794 जिसमें

इस न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल के फैसले पर भरोसा किया, यह प्रस्तुत किया गया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत एक सरल घोषणा के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं होगा।यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को स्वीकार करने और शिकायत को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

सी.

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

डी.

6. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि निचली विचारण न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को खारिज कर दिया और शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना दिया है और आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को अनुमति दी है और इस आधार पर वाद को खारिज कर दिया है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है और साथ ही संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत एक घोषणा सरलीकरण के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

ई.

7. अब, जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है कि क्या मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित कहा जा सकता है या नहीं, इस स्तर पर, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है वाद में किए गए कथन।केवल उस मामले में जहां यह देखा जाता है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है, तब और उसके बाद ही आदेश VII नियम 11 (डी) सी. पी. सी. के तहत सीमा के आधार पर एक वाद को खारिज किया जा सकता है।इस स्तर पर जिस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह है वाद में किए गए कथन।उपरोक्त उद्देश्य के लिए, न्यायालय को समग्र रूप से वाद के कथनों पर विचार करना और पढ़ना होगा।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है

एफ.

जी.

राम प्रकाश गुप्ता (ऊपर) का मामला, के तहत एक शिकायत की अस्वीकृति

आदेश VII नियम 11 (डी) सी. पी. सी. में केवल कुछ पंक्तियों और अंशों को पढ़ना और वाद के अन्य प्रासंगिक भागों की अनदेखी करना अस्वीकार्य है।उक्त निर्णय में, पैराग्राफ 21 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः-

एच.

"21. जैसा कि पहले देखा गया है, आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत वाद की अस्वीकृति के लिए दायर आवेदन में आदेश पारित करने से पहले, पूरे वाद अभिकथनों को सत्यापित करना उचित है।उपर्युक्त सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 1974 के वाद संख्या 183 में पारित डिक्री वर्ष 1986 में वादी के संज्ञान में आई, जब 1989 का वाद संख्या 424, जिसका शीर्षक असीमा आर्किटेक्ट बनाम राम प्रकाश था, दायर किया गया था जिसमें पहले के डिक्री की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई थी और उसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द कदम उठाए और घोषणा के लिए और कब्जे के विकल्प के लिए मुकदमा दायर किया।यह विवाद में नहीं है कि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 59 के अनुसार, जानकारी की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर एक मुकदमा दायर किया जाना चाहिए था।वादमे वर्णित ज्ञानकेँ अपर्याप्त आ अपूर्ण नहि कहल जा सकैत अछि जेना कि उच्च न्यायालय द्वारा देखल गेल अछि।आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय, कुछ पंक्तियों या मार्गों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए और इसके वास्तविक महत्व का पता लगाने के लिए अभिवचनों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।हमारा विचार है कि निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ही शिकायत में बताए गए प्रासंगिक कथनों का विज्ञापन करने में विफल रहे।"

बी.

सी.

डी.

7.1 आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, उपरोक्त निर्णय से और यहां तक कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में अन्यथा भी, न्यायालय को पूरे वादी कथनों को देखना होगा और केवल कुछ पंक्तियों/अंशों को पढ़कर और वाद के अन्य प्रासंगिक हिस्सों की अनदेखी करके वाद को अस्वीकार नहीं कर सकता है।

ई.

7.2 राम प्रकाश गुप्ता (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए और पूरे वाद अभिकथनों को देखने पर, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा सीमितता से वर्जित है।कार्रवाई के कारण पर शिकायत में आवश्यक अभिकथन पैराग्राफ 6,7 और 10 में हैं, जो नीचे दिए गए हैंः-

एफ.

“6. यह कि उपरोक्त प्रतिवादी अब क्षेत्र की भूमि के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप वादी को मुकदमे की संपत्ति से हुक और क्रूक द्वारा बाहर निकालने के लिए अधिक दुखी हुआ है और आनंद बाजार पत्रिका में और द टेलीग्राफ में विभिन्न भागों से आने वाले समाचार पत्रों में विभिन्न प्रविष्टियों में तीसरे पक्ष द्वारा संपत्ति की खरीद और हस्तांतरण प्राप्त करने के इरादे से आया है।

जी.

एच.

309

श्री विश्वनाथ बैंक और ए. एन. आर. बनामएसएमटी। सुलंगा बोस और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

7. कि उपरोक्त प्रतिवादी और उसके आदमियों और एजेंट ने ठोस रूप से 29.8.2010 पर मुकदमे की संपत्ति में जबरन प्रवेश करने और "दुर्वन" के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिरोध के कारण प्रतिवादी बेदखल करने के अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ, लेकिन प्रतिवादी अपने सहयोगी के साथ बल और हिंसा का उपयोग करके भी वादी को किसी भी तरह से अपने वैध कब्जे से बेदखल करने के लिए दृढ़ है।कि प्रोफार्मा प्रतिवादियों ने अपने खिलाफ बिना किसी दावे के मुकदमे में पक्षकार बनाए हैं, लेकिन उक्त मामले के उचित निर्णय के लिए।

बी.

10. कि इस मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण 29.08.2010 पर परिसर संख्या 3/3 ए, पूर्व में 3, गुरुदास दत्ता गार्डन लेन, पी. एस. उल्टाडांगा, कोलकाता-700067 पर उत्पन्न हुआ, जो इस एल. डी. के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायालय।”

सी.

7.3 वर्तमान मामले में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वाद सीमा द्वारा वर्जित है, उच्च न्यायालय ने केवल पैराग्राफ 4 में किए गए अभिकथनों पर विचार किया है और पूरे वाद अभिकथनों पर विचार नहीं किया है।

डी.

7.4 अभियोग को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा और कहा कि मूल मालिक के खिलाफ संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत एक सरल घोषणा के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं होगा और इसके लिए इस निर्णय पर भरोसा किया जाता है।

दिल्ली मोटर कंपनी (ऊपर) के मामले में न्यायालय।हालांकि, यह

ई.

यह ध्यान देने योग्य है कि यहां तक कि वादी ने भी कब्जे में होने का दावा करने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए को लागू करने की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी अनुरोध किया है। जब मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए होता है और यह माना जाता है कि वादी समझौते के अनुसार वाद संपत्ति के कब्जे में हैं और उसके बाद, उन्होंने भूमि का विकास किया है और वे बारह वर्षों से अधिक समय से निरंतर कब्जे में हैं और वे निगम को कर भी दे रहे हैं, तो कार्रवाई का कारण उस तारीख को उत्पन्न हुआ है जिस दिन कब्जे को बाधित करने की मांग की जाती है।यदि ऐसा है, तो स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है।यह कानून का तय प्रस्ताव है कि शिकायत को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।अन्यथा भी, मांगी गई राहतें आपस में जुड़ी हुई हैं।क्या वादी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत किसी राहत के हकदार होंगे या नहीं, इस पर मुकदमे के समय विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा के तहत मांगी गई राहत के लिए मुकदमा

एफ.

जी.

एच.

53 ए बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं होगा और इसलिए आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायत को खारिज किया जा सकता है। 8.उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को अनुमति देने और शिकायत को खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है।उच्च न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायत को खारिज करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश कानून के साथ-साथ तथ्यों दोनों पर अस्थिर है।

बी.

9. ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने सी. ओ. को अनुमति दी और निचली विचारण न्यायालय द्वारा आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत वाद को अस्वीकार करने से इनकार करने और परिणामस्वरूप आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत वाद को खारिज करने के आदेश

अपास्त करना कर दिया और रद्द कर दिया गया।आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शिकायत को अस्वीकार करने के लिए मूल प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाता है।निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल हो गया है।अब, मुकदमा कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ेगा।हालाँकि, यह देखा गया है कि वर्तमान आदेश में इस न्यायालय द्वारा जो भी टिप्पणियां की गई हैं, वे केवल आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर निर्णय लेने तक सीमित होंगी और निचली विचारण न्यायालय अंततः कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष और साक्ष्य के आधार पर मुकदमे का निर्णय और निपटान करेगी।

सी.

डी.

ई.

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एफ.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई

जी.

एच.